तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.– 3/2024 बजानवान ओमाराम बनाम बुद्धाराम के वारिस मंजू	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा वाद–स्थानान्तरण का यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विरोधी पक्षकार के दबाव के कारण पेशी 2–3 दिन की दी जा रही है, विपक्षी उसे गालिया देते है तथा धमकिया दे रहे है एवं रीडर व पीठासीन अधिकारी को भी मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अतएव आवेदन स्थानान्तरित किया जावे। प्रकरण में रिकॉर्ड देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह विवादित प्रकरण वर्ष 1996 यानी करीब 28 वर्ष पुराना है तथा 28 वर्ष पुराने प्रकरण में लम्बी पेशियां दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी स्वयं वादी है तथा उसे अपने प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकरण में राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भी वर्ष 2013 में वादी की एक पेशी पर ही 500 रूपये की कीमत के साथ शहादत करवाने का अवसर दिया गया था एवं उसे भी 09 वर्ष गुजर चुके है। अतएव यह प्रकरण 28 वर्ष पुराना होने के कारण इस प्रकरण का शीघ्र विधिपूर्वक निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी वादी को धमकियां दिये जाने बाबत् वह अपने स्तर पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकरण में रीडर एवं पीठासीन अधिकारी को मानसिक रूप से तनावग्रस्त करने के कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं है तथा उन का पक्ष रखने के लिए प्रार्थी सक्षम भी नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुतशुदा स्थानान्तरण आवेदन के आधारों को प्रमाणित किये जाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। अतएव प्रार्थी के स्थानान्तरण आवेदन को निरस्त किया जाता है तथा पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रकरण की 28 वर्ष की आयु हो जाने के कारण प्रकरण अत्यन्त पुराने प्रकरण की श्रेणी में आता है। अतः इस प्रकरण की सुनवाई साप्ताहिक रूप से करते हुए प्रकरण का विधिपूर्वक शीघ्र निस्तारण करावे। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.05.2024 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो। जिला कलक्टर, पाली जिला कलेक्टर, पाली	

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)